न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद 88,188,92ए आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 221/18

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अर्जुनराम पुत्र श्री बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम नोखड़ा गोदारा तहसील फलौदी जिला जोधपुर (राज.)		1. प्रतापाराम पुत्र श्री सूराराम 2. बादरराम पुत्र सूराराम—फौत के उतराधिकारी एवं वारिसान— 2/1. रतनाराम पुत्र बादरराम 2/2. रामरखराम पुत्र बादरराम 2/3. बाबूराम पुत्र बादरराम 3. किशनाराम पुत्र मेगनाराम 4. भलूराम पुत्र मेगनाराम 5. सहीराम पुत्र मेगनाराम 6. बीरबलराम पुत्र मेगनाराम 7. गोपूराम पुत्र श्री सूराराम 7/1 हरचन्दराम पुत्र गोपुराम 7/2 भागीरथराम पुत्र गोपुराम 7/3 हनुमान पुत्र गोपुराम 7/4 खमुराम पुत्र गोपुराम 7/5 पूनाराम पुत्र गोपुराम 8. ब्रजलाल पुत्र नवलाराम 9. फरसाराम पुत्र नवलाराम 10. गंगाविशन पुत्र नवलाराम 11. महीराम पुत्र नवलाराम 12. लूंगा देवी पत्नी नवलाराम 13. हजारीराम पुत्र प्रहलादराम 14. मोहनराम पुत्र प्रहलादराम 15. शंकरलाल पुत्र प्रहलादराम 16. मनफूल पुत्र प्रहलादराम 17. जयराम पुत्र बंशीलाल 18. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल सर्व जति विश्नोई निवासीयान ग्राम नोखडा गोदारा तहसील बाप जिला जोधपुर राज. 19. शाखा प्रबन्धक जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा फलोदी जिला जोधपुर 20. ग्राम पंचायत नोखडा भाटियान जरिये सरपंच

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी

21. श्रीमान तहसीलदार, फलौदी

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से प्रवीण सिंह राठौड़ व भुपेन्द्रसिंह राजपुरोहित।
2. प्रतिवादीगण संख्या 01 व 12 की और से रामस्वरूपसिंह व 13 ता 18 की ओर से महिपाल सिंह।

–: निर्णय :– **दिनांक :– 13/06/2019**

वादी ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नोखडा भाटियान पटवार क्षेत्र नोखडा भाटियान तहसील फलौदी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 7 रकबा 28.05 बीघा, खसरा नम्बर 55 रकबा 10.09 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकबा 100.19 बीघा, खसरा नम्बर 220 रकबा 55.04 बीघा, खसरा नम्बर 222 रकबा 32.13 बीघा, खसरा नम्बर 258 रकबा 15.01 बीघा, खसरा नम्बर 260 रकबा 10.06 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 27.11 बीघा, खसरा नम्बर 430 रकबा 47.07 खसरा नम्बर 450 रकबा 30.06 बीघा, खसरा नम्बर 136 रकबा 11.03 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 28.18 बीघा कुल रकबा 396.18 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में सूराराम, प्रहलादराम पि. उम्मेदाराम के नाम वक्त सैटलमेंट खतौनी बंदोबस्त में दर्ज थी। इस प्रकार उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा सूराराम का व 1/2 हिस्सा प्रहलादराम का है। ग्राम नोखडा भाटियान में से नया राजस्व ग्राम नोखडा गोदारा नवसृजित हो जाने से खसरा नं. 172, 7, 55, 220, 138, 136, 222 की सरहद में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 संलग्न वाद पेश है।

उक्त वादग्रस्त भूमि पर सूराराम का 1/2 हिस्सा पर व प्रहलादराम का 1/2 हिस्से पर अपने सम्पूर्ण जीवनकाल तक कब्जा व काश्त रहा। प्रतिवादीगण सं. 1, 2 व 7 के पिता, 3 ता 6 व 8 ता 11 के दादा व प्रतिवादी संख्या 12 के ससुर सूराराम ने अपने आपको फायदा पहुंचाने की नियत से एक सरासर गलत तरीके से अपना व वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 17 ता 18 के दादा एवं 13 ता 16 के पिता प्रहलादाराम से बाले–बाले बंटवाडा कर लिया था और उक्त बंटवाडा के अनुसार खसरा नम्बर 258 रकबा 15.01 बीघा, खसरा नम्बर 260 रकबा 10.06 बीघा, ख.न. 55 रकबा 10.04 बीघा, खसरा न. 220 रकबा 55.04 बीघा, खसरा न. 450 रकबा 15.03 बीघा, खसरा न. 7 रकबा 28.01 बीघा, खसरा न. 172 रकबा 50.10 बीघा, खसरा न. 430 रकबा 23.14 बीघा, खसरा न. 136 रकबा 11.03 बीघा, खसरा न. 138 रकबा 8.08 बीघा कुल रकबा 227.19 बीघा भूमि अपने हिस्से से अधिक सूराराम ने अपने बंट में रख ली और खसरा नम्बर 450/1 रकबा 15.03 बीघा, ख.न. 172/1 रकबा 50.09 बीघा, ख.न. 430/1 रकबा 23.13 बीघा, खसरा नम्बर 138/1 रकबा 19.10 बीघा, खसरा न. 222 रकबा 32.13 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 27.11 बीघा कुल रकबा 167.19 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 17 ता 18 के दादा एवं 13 ता 16 के पिता प्रहलादराम के बंट में उनके हिस्स से कम रखी गई और उक्त भूमि को लेकर प्रहलादराम ने कभी भी बंटवाडा नही किया था। उक्त बंटवाडा विधि के सामान्य नियम के भी विरूद्ध है क्योंकि सूराराम व प्रहलादराम दोंनों को उक्त भूमि में 1/2 – 1/2 हिस्सा के खातेदार थे। उक्त बंटवाडा डिफरेंट बंटवाडा है और उक्त बंटवाडा अनुसार दोनो खातेदारों को भूमि भी समान रूप से नहीं रखी गई है लेकिन फि भी सूराराम ने पटवारी हल्का से मिलावट कर उक्त बंटवाडा के आधार पर नामान्तरकरण सं. 3

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलोदी

मौजा नोखडा भाटियान भरवाकर स्वीकृत करवा लिया। जबकि उक्त बंटवाडा के के बंट में रखी गई सम्पूर्ण भूमि पर कभी भी कब्जा व काश्त सूराराम का नही रह उक्त डिफेरट एवं विधि विरूद्व बंटवाडा के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण सं. भाटियान को निरस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्त सरासर गलत बंटवाडा के आधार पर खसरा नम्बर 258 रकबा 15 न. 260 रकबा 10.06 बीघा, खसरा न. 55 रकबा 10.04 बीघा, खसरा न. 220 रक खसरा न. 450 रकबा 15.03 बीघा, खसरा न. 7 रकबा 28.01 बीघा, खसरा न. बीघा, खसरा न. 430 रकबा 23.14 बीघा, खसरा न. 136 रकबा 11.03 बीघा, खसर 8.08 बीघा, प्रतिवादीगण सं. 1, 2, व 7 के पिता, 3 ता 6 एवं 8 ता 11 के दादा व के ससुर सूराराम ने अपने नाम दर्ज करवा ली और अपने नाम सरासर गलत राज फायदा उठाते हुये सूराराम ने प्रतिवादी सं. 1 , 2 ,व 7 एवं 3 ता 6 के पिता मेगन के पिता व 12 के पति नवलाराम के साथ एक और सरासर गलत तरीके से बंट और उक्त बंटवाडा के आधार पर नामान्तरकरण सं. 39 मौजा नाखडा भाटियान भर किया गया। उक्त बंटवाडा अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के नाम खसरा नं. 172 रक प्रतिवादी सं. 2 के नाम खसरा न. 258 रकबा 15.01 बीघा, खसरा न. 260 रक प्रतिवादीगण सं. 3 ता 6 के पिता मेगनाराम के नाम खसरा नं. 7 रकबा 28.01 बीघा 7 के बंट में खसरा नम्बर 55 रकबा 10.09 बीघा, खसरा न. 220 रकबा 55.04 250/1 रकबा 15.03 बीघा एवं प्रतिवादीगण सं. 8 ता 11 के पिता व 12 के पति में खसरा न. 430 रकबा 23.14 बीघा, खसरा न. 138 रकबा 8.08 बीघा, खसरा न. 1 बीघा भूमि सरासर गलत तरीके से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा दी गई जबकि भूमि अपने नाम सरासर गलत तरीक से जरिये बंटवाडा के दर्ज करवाई थी बंटवाडा का नामान्तरकरण भी सरासर गलत तरीके से सरपंच ग्राम पंचायत जैसल किया गया है और उक्त दोनो बंटवाडा में दर्शाये गये स्टाम्प की दिनांक में भ इसलिये वादी नामान्तरकरण सं. 38 व 39 मौजा नाखडा भाटियान को निरस्त करवा के तमाम राजस्व इन्द्राजात निरस्त करवा कर ग्राम नोखडा गोदारा तहसील फलौदी के खसरा नम्बर 7 रकबा 28.05 बीघा, खसरा न. 55 रकबा 10.09 बीघा, खसरा न. 19 बीघा, खसरा न. 220 रकबा 55.04 बीघा, खसरा न. 222 रकबा 32.13 बीघा, रकबा 28.18 बीघा एवं ग्राम नोखडा भाटियान तहसील फलौदी के खसरा न. 25 बीघा, खसरा न. 260 रकबा 10.06 बीघा, खसरा न. 422 रकबा 27.11 बीघा, खसरा 47.07 बीघा, खसरा न. 450 रकबा 30.06 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तका जावे। ग्राम नोखडा गोदारा के खसरा नं. 136 रकबा 11.03 बीघा, भूमि में से रकबा बिस्वा) भूमि प्रतिवादी सं. 09 ने अपने हिस्से में से प्रतिवादी सं. 20 को बख्सीस इसलिये उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 13 ता 18 को 1/2 हिस्से का व 1 ता 12 व 20 को संयुक्त रूप से माफिक बख्सीसनामा 1/2 हिस्से का खातेदार क किया जावे।

कलक्टर फास्ट ट्रैक फलोदी
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक फलोदी
जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

वादी व प्रतिवादीगण सं. 13 ता 18 का उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और वादी व प्रतिवादीगण सं. 13 ता 18 ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं. 13 ता 18 अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है ओर अभी वर्तमान में वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर बाजरा, गवार, मूंग, मोठ इत्यादी की काश्त कर रखी है जो मौके पर मौजूदा हैं। अभी दिनाकं 12/08/2017 को जब वादी अपने हिस्से कि भूमि में काश्त कि गई काश्त में निदान निकाल रहा था कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 वादी के हिस्से की भूमि में आये और वादी को धमकी दी कि उक्त भूमि हमारे नाम दर्ज है तुम उक्त भूमि को खाली कर दो, नही तो हम तुम्हे जोर–जबरदस्ती उक्त भूमि से बेदखत कर तुम्हारे हिस्से कि भूमि पर कब्जा करके ही रहेंग। उस दिन तो वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 को समझा बुझा कर निकाल दिया लेकिन् जाते हुये प्रतिवादीगण सं 1 ता 12 ने धमकी दी कि हम आईन्दा आकर तुम्हे इस भूमि से बेदखल करके ही रहेंगे। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 अपने नापाक इरादों में सफल होने हेतू लगातार प्रयत्नशील है। अगर अपने उक्त नापाक इरादों में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 सफल हो जाते हैं तो वादी को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघत होगा जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी। वादी गरीब व असहाय व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 समर्थ व प्रभावशाली है। जिसका सामना वादी करने में असमर्थ हैं। इसलिये प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 को जरिये कानून रोका जाना अति आवश्यक है। अतः स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण सं' 1 ता 12 के विरूद्व इस आशय कि जारी की जावे कि वाद पत्र के फिकरा सं. 1 मे वर्णित खसरान की भूमियों में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 12 ता 18 के अपने पैतृिक 1/2 हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार कि दखलअंदाजी प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य सख्श से करवावें । जिस हेतू स्थायी निषेधाज्ञा का यह वाद पेश है।

व्यवहारकरण जब प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 के पूर्वज सूराराम ने पटवारी हल्का में मिलावट कर उक्त भूमि में सरासर गलत तरीके से बंटवाडा कर उक्त बंटवाडा के आधार पर नामान्तरकरण सं. 38 व 39 मौजा नोखडा भाटियान भरवा कर स्वीकृत करवा लेने से व अभी दिनांक 12/08/2017 को वादी को उसके पैतृक हिस्से से बेदखल करने कि धमकी देने से मुकाम ग्राम नोखडा भाटियान व नोखडा गोदारा पटवार क्षेत्र नोखडा भाटियान तहसील फलौदी जिला जोधपुर में पैदा होता है जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। नामान्तरकरण सं. 38 व 39 मौजा भाटियान तहसील फलौदी को निरस्त किया जाकर उसके बाद के तमाम इन्द्राजात निरस्त किये जाकर ग्राम नोखडा गोदारा तहसील फलौदी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 7 रकबा 28.05 बीघा, खसरा न. 55 रकबा 10.9 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकबा 100. 19 बीघा, खसरा न. 220 रकबा 55.04 बीघा, खसरा न. 222 रकबा 32.13 बीघा, खसरा न. 138 रकबा 28.18 बीघा, एवं ग्राम नोखडा भाटियान तहसील फलौदी के खसरा नम्बर 258 रकबा 15.01 बीघा, खसरा नम्बर 260 रकबा 10.06 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 27.11 बीघा, खसरा नम्बर 430 रकबा 47.07 बीघा, खसरा नम्बर 450 रकबा 30.06 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 13

सहायक कलक्टर कलक्टर फास्ट ट्रैक फलौदी जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलौदी

ता 18 को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 को 1/2 हिस्से का खातेदार का घोषित किये जाने के आदेश फरमावें।

ग्राम नोखडा गोदारा के खसरा न. 136 रकबा 11.03 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी 13 ता 18 को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 व 20 को संयुक्त रूप से बख्सीसनामा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घेषित किये जाने के आदेश फरमावे

स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 के विरूद्व इस आश्य की ताफैसला मुल जारी की जावे कि ग्राम नोखड़ा गोदारा तहसील फलौदी जिला जोधपुर के खसरा न. 7 रकब 05 बीघा ,खसरा न. 55 रकबा 10.09 बीघा, खसरा न. 172 रकबा 100.19 बीघा, खसरा न. रकबा 11.03 बीघा, खसरा न. 220 रकबा 55.04 बीघा, खसरा न. 222 रकबा 32.13 बीघा, खसर 138 रकबा 28.18 बीघा एवं ग्राम नोखडा भाटियान तहसील फलौदी के खसरा न. 258 रकबा 1 बीघा, खसरा न. 260 रकबा 10.06 बीघा, खसरा न. 422 रकबा 27.11 बीघा, खसरा न. 430 र 47.07 बीघा खसरा नम्बर 450 रकबा 30.06 बीघा भूमि में वादी के अपने पैतृक हिस्से में चले रहे शांतिपूवक कब्जा काश्त में किसी प्रकार कि दखलअंदाजी न तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 र करें तथा ना ही किसी अन्य से करवावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तामिल हेतु सम्मन जारी किए ग प्रतिवादी संख्या 13 से 18 कि ओर से अधिवक्ता महिपाल सिंह ने वकालतनामा पेश किया उ पेशी दिनांक को वादी कि ओर से वकील प्रवीण सिंह राठौड़ ने अपना वकालतनामा पेश किया पेशी दिनांक 28.05.2019 को प्रतिवादी सं. 13 ता 18 के अधिवक्ता कि ओर से यह दावा स्वीकार किया। प्रतिवादी सं. 07 के फौत हो जाने के कारण वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया व साथ ही संशोधित वा शीर्षक पेश किया। अधिवक्ता रामस्वरूप सिंह ने प्रतिवादी सं. 01 ता 12 कि ओर से अपन वकालतनामा पेश किया व वादी अधिवक्ता के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पर NO OBJECTION किया। प्रतिवादी सं. 01 ता 12 के अधिवक्ता ने अपना जवाबदावा पेश किया जिसमें उन्होने वादी अधिवक्ता के दावे को स्वीकारा। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस सुनाई गई। बहस पर मनन व दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया गया।

NO INSTRACTION क

—: आदेश :—

वादी वाद स्वीकार किया जाता है कि नामान्तरकरण सं. 38 व 39 मौजा नोखड़ा भाटियान तहसील फलौदी को निरस्त किया जाकर उसके बाद के तमाम इन्द्राजात निरस्त किये जाकर ग्राम नोखडा गोदारा तहसील फलौदी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 7 रकबा 28.05 बीघा, खसरा न. 55 रकबा 10.09 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकबा 100.19 बीघा, खसरा न. 220 रकबा 55.04 बीघा, खसरा न. 222 रकबा 32.13 बीघा, खसरा न. 138 रकबा 28.18 बीघा, एवं ग्राम नोखडा भाटियान तहसील फलौदी के खसरा नम्बर 258 रकबा 15.01 बीघा, खसरा नम्बर 260 रकबा 10.06 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 27.11 बीघा, खसरा नम्बर 430 रकबा 47.07 बीघा, खसरा नम्बर 450 रकबा 30.06 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 13 ता 18 को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 को

कलक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी जिला जोधपुर सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम नोखडा गोदारा के खसरा न. 136 रकबा 11.03 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 13 ता 18 को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 व 20 को संयुक्त रूप से माफिक बख्सीसनामा 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घेषित किया जाता है।

स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 के विरूद्व इस आशय की ताफैसला मुल वाद जारी कि जाती है कि ग्राम नोखड़ा गोदारा तहसील फलौदी जिला जोधपुर के खसरा न. 7 रकबा 28.05 बीघा ,खसरा न. 55 रकबा 10.09 बीघा, खसरा न. 172 रकबा 100.19 बीधा, खसरा न. 136 रकबा 11.03 बीघा, खसरा न. 220 रकबा 55.04 बीघा, खसरा न. 222 रकबा 32.13 बीघा, खसरा न. 138 रकबा 28.18 बीघा एवं ग्राम नोखडा भाटियान तहसील फलौदी के खसरा न. 258 रकबा 15.01 बीघा, खसरा न. 260 रकबा 10.06 बीघा, खसरा न. 422 रकबा 27.11 बीघा, खसरा न. 430 रकबा 47.07 बीघा खसरा नम्बर 450 रकबा 30.06 बीघा भूमि में वादी के अपने पैतृक हिस्से में चले आ रहे शांतिपूवक कब्जा काश्त में किसी प्रकार कि दखलअंदाजी न तो प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 स्वयं करें तथा ना ही किसी अन्य से करवावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलोदी जिला जोधपुर

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी